उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि0
(उत्तराखण्ड़ सरकार का उपक्रम)
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
(A Govt. of Uttarakhand Undertaking)
CIN: U40109UR2001SGC025867
Email id: eecm.upcl@gmail.com
Website : www.upcl.org

पत्रांक : 227 /अधी0अभि0(मु0)/उपाकालि दिनांक : 29/11/25

रुचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 के वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून द्वारा निविदाओं, विद्युत बाधित सूचनाओं एवं समय–समय पर उपाकालि की विकास योजनाओं इत्यादि को समाचार पत्रों में प्रचारित–प्रसारित कराये जाने के उद्देश्य से समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाली सामग्री के डिजाइन के लिए आई0एन0एस0 (INS) में पंजीकृत विज्ञापन एजेन्सियों से प्रस्ताव निम्नलिखित प्रतिबन्धों के आधार पर आमंत्रित किये जाते है:–

क्र0सं0		प्रतिबन्ध	मूल्य अंक
1		फर्म का कार्य क्षेत्र मूलरूप से एडवरटाइजिंग और पब्लिसिटी का होना चाहिए।	2 अंक
2		फर्म को राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार के विभागों सहित कॉरपोरेट सेक्टर, संस्थागत संगठनों हेतु विज्ञापन ड़िजाइन तैयार करने का कम से कम 05 वर्ष अनुभव होना चाहिए। पुष्टि हेतु विगत वर्षों में किये गये कार्यों का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।	5 अंक
3		फर्म का टर्न ओवर प्रति वर्ष न्यूनतम रू0 5 करोड़ (रूपये पाँच करोड़) होना चाहिए। पुष्टि हेतु सी0ए0 द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।	5 अंक
4		फर्म को गत वित्तीय वर्ष 2022–23, 2023–24 और 2024– 25 का आयकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।	6अंक
5		फर्म का कार्यालय देहरादून में स्थित होना चाहिए।	5 अंक
6		उक्त कार्यालय का विगत 3 माह का कर्मर्शियल बिजली का बिल जमा करने का प्रमाण पत्र।	6अंक
7		फर्म को GSTN का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।	5 अंक
8		उत्तराखण्ड के GSTN का प्रमाण पत्र होने पर।	5 अंक (अतिरिक्त)
9		फर्म को देहरादून में नियमित कार्मिक की नियुक्ति का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा तथा कार्मिक के देहरादून में होने के प्रमाण देने हेतु कार्मिक का आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक (कोई चार अभिलेख) उपलब्ध कराना होगा। (एक से अधिक कार्मिक होने पर प्रत्येक कार्मिक के लिए 4 अंक तथा अधिकतम 10 अंक)	4 अंक
10		उक्त कार्मिक को लगातार 6 माह तक वेतन निर्गत करने के प्रमाण में कार्मिक के पासबुक की छायाप्रति उपलब्ध करायी जानी होगी।	6 अंक
11		उक्त कार्मिकों की EPF/NPS खाता संख्या तथा 6 माह तक किए गए EPF/NPS भुगतान का प्रमाण संलग्न करना होगा।	6 अंक
12		उक्त कार्मिक का EPF छूट प्रदान करने हेतु प्रमाण ।पत्र उपलब्ध कराये जाने पर।	1 अंक
13		उक्त कार्मिक/कार्मिकों के ESI रजिस्ट्रेशन अथवा मेडिकल पॉलिसी द्वारा आच्छादित होने का प्रमाण पत्र देना होगा।	4 अंक
14		फर्म का पिछले प्रदर्शन के आधार पर निम्नलिखित प्रकार से मूल्यांकन किया जायेगा।	
	I	उपाकालि के सम्बन्धित कार्मिक की अच्छी प्रतिक्रिया पर।	1 अंक
	II	जिसमें से त्रुटिपूर्ण कार्य हेतु विभाग से निर्गत चेतावनी पत्र पर।	4 ऋणात्मक अंक
	III	खराब प्रतिक्रिया पर कटौती है।	1 ऋणात्मक अंक

आवश्यक निर्देश :–

1. प्रस्तावों को दिनांक 15.12.2025 तक सांय 5:00 बजे तक स्वीकार किया जायेगा।
2. उपाकालि द्वारा विज्ञापन एजेन्सियों का पंजीकरण 2 वर्ष की अवधि के लिए होगा।
3. फर्म को अपने कार्यों व ड़िजाईन का प्रस्तुतीकरण समिति के सम्मुख करना होगा।
4. सूचीबद्धता के उपरान्त फर्म को विभाग की आवश्यकतानुसार ड़िजाइन अल्प समय में भी तैयार करने होंगे।
5. सूचीबद्ध होने के पश्चात् विभागीय कार्यादेश के अनुरूप समय से कार्य सम्पादित न करने पर अथवा कार्यालय में किसी भी प्रकार की अभद्रता, गाली–गलौज, धमकी, हिंसा करने पर फर्म को सूची से पृथक किया जा सकता है।
6. सूचीबद्ध फर्मो से कार्य करवाने हेतु सम्पूर्ण अधिकार प्रबन्धन, उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड़, देहरादून, उत्तराखण्ड के पास सुरक्षित रहेगा।
7. INS पंजीकरण/मान्यता तथा अन्य प्रस्तुत अभिलेखों की सत्यता के सम्बन्ध में फर्म को एक शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. उपाकालि में फर्मों को सूचीबद्ध किये जाने का अंतिम निर्णय अनुमोदन समिति का होगा।
9. तकनीकी रूप से सफल एजेंसी का मूल्यांकन किया जायेगा, जिसमें डिजाईन का प्रस्तुतीकरण करना होगा। उसके पश्चात् सफल एजेंसियों को सूचीबद्ध किया जायेगा।
10. सूचीबद्ध फर्म को अपने अधिकृत प्रतिनिधि (जो कि उपाकालि परिसर में प्रवेश हेतु अधिकृत होगा) की जानकारी निर्धारित फॉर्मेट में भरकर अधिशासी अभियन्ता (का0मं0) को उपलब्ध करायी जानी होगी।
11. सूचीबद्धता मात्र से ही फर्मों को कार्य देने की बाध्यता नहीं होगी।

विशेष नोटः– अनुरोध है कि कृपया प्रस्ताव को To-The-Point रखें। भारी–भरकम प्रस्तावों को प्रथम दृष्टया बाहर किया जा सकता है।

अधिक जानकारी हेतु कृपया 9410393084 पर संपर्क करें।

(प्रदीप कुमार पंत)
अधीक्षण अभियन्ता (मु0)